प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला.चौकी ,एसीबी, भीलवाडा– द्वितीय, थाना. सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष – 2022
प्र. ई. रि. स. ....301/2022....... दिनांक ....2/8/2022..........

(अ) अधिनियम. पी.सी. (संशोधन) एक्ट 2018 धारायें...7,7ए

(ब) अधिनियम..भा.द.स. धारायें.120 बी भादस

(स) अधिनियम ....धारायें...

(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ....32........समय........5.30 P.M.......................

(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक 16.05.2020 समय....06.35 पी. एम.

(स) थाना/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 16.05.2020 समय. 05.10 पी.एम.

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस चौकी से दिशा व दूरी – दक्षिण – करीबन 200 मीटर

(ब) पता – जिला कारागृह भीलवाडा

बीट संख्या ....जरायमदेही सं...

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना..जिला...

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम – श्री जगदीश चन्द्र तेली

(ब) पिता का नाम– श्री गोपाल लाल तेली

(स) जन्म तिथि /वर्ष व्यस्क

(द) राष्ट्रीयता......... भारतीय

(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी...............................

जारी होने की जगह...

(र) व्यवसाय......––

(ल) पता– निवासी ग्राम – भोली तहसील व जिला, भीलवाडा

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. श्री भैरू सिंह राठौड़ पुत्र श्री गंगा सिंह राठौड़ उम्र 49 साल जाति राजपूत निवासी डूंगरियां कला तहसील पुष्कर जिला अजमेर, तत्कालिन कारापाल, कार्यवाहक अधीक्षक, जिला कारागृह भीलवाड़ा,
2. श्री रवि बैरवा पुत्र श्री प्रभाती लाल उम्र 33 साल जाति बैरवा निवासी मेड़ी तहसील बसवा जिला दौसा, तत्कालिन कानि. 3168 जिला करागृह भीलवाड़ा,
3. श्री राजकुमार फुलवारी पुत्र श्री मदन लाल निवासी मकान नं. 740 वार्ड नं. 39 माकुपुरा जिला अजमेर हाल मुख्य प्रहरी नं. 2181 जिला कारागृह भीलवाड़ा,

4. श्री बाबू लाल बैरवा (दलाल)
5. श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री चौथमल उम्र 25 साल जाति जाट निवासी उम्मेदपुरा (कोडियां का खेड़ा) पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाडा (तत्कालिन बन्दी),
6. श्री राधेश्याम जाट पुत्र श्री चौथमल उम्र 25 साल जाति जाट निवासी उम्मेदपुरा (कोडियां का खेड़ा) पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाडा (तत्कालिन बन्दी)

8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही ...
चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) 10000/–रू. रिश्वत राशि

9. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्ंया (अगर हो तो)...

10. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट – (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

महोदय,

निवेदन है कि प्राथमिक जॉच संख्या 03/2020 दिनांक 21.07.2020 की जॉच से पाया गया कि दिनांक 16.05.2020 को परिवादी श्री जगदीश चन्द्र तेली पुत्र गोपाल लाल तेली निवासी भोली तहसील एवं जिला भीलवाडा मय अपने मित्र श्री राजु जाट निवासी भोली के उपस्थित कार्यालय एसीबी भीलवाड़ा द्वितीय होकर परिवादी ने एक टाईप भुदा रिपोर्ट पुलिस निरीक्षक श्री शिव प्रकाश को इस आशय की पेश की कि "मुझ प्रार्थी को पुलिस थाना मंगरोप द्वारा मारपीट के प्रकरण मे गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश किया गया जंहा से मुझे दिनांक 13.05.2020 को न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया व मै जिला कारागृह,भीलवाडा मे बंद था कि दिनांक 14.05.2020 को अन्य बंदी कन्हैयालाल जाट एवं उसका भाई राधेश्याम जाट द्वारा मुझ प्रार्थी के पास आये व मुझ प्रार्थी पर दबाव बनाया कि तु हमारी सेवा कर, इस पर मैने मना किया तो मुझ प्रार्थी को डराने धमकाने लग गये व मुझे भय मे डालने लग गये कि हम हिस्ट्रशीटर है व मर्डर के मामले मे जेल मे आये है जैल के अन्दर हमारी दादागिरी चलती है, हमारा जैलर या कोई भी कुछ नही बिगाड सकता है, डिप्टी जैलर आदि को हम खर्चा पानी देते है व मुझे मारने की भी कोशिश की व बार–बार मुझे अपने परिवार वालो को फोन कर 10 हजार रूपये उनके कहे खाते मे डलाने हेतु दबाव बनाया व मुझे डरा धमकाकर एसटीडी से मेरे मित्र भेरूलाल जाट को फोन करवाया व 10,000/–मोबाईल नम्बर 70620–34018 पर डालने हेतु कहलवाया, मेरे मित्र भैरू लाल जाट द्वारा कहा कि तु जैल मे बंद है 10 हजार रूपये किसको देने है, मै उनको जाकर दे देता हूं उक्त मुल्जिमान ने दबाव बनाकर कहा कि खर्चे पानी के पैसा का नाम ले, इस पर मैने खर्चा पानी के पैसे हेतु कहा, जिस पर भैरूलाल जाट द्वारा मोबाईल नम्बर पर पैसे डालने से मना कर दिया तो उक्त मुल्जिमान द्वारा मुझे वापस डराया धमकाया व रूपये नही डालने पर झाडु निकलवाया व कम्बल धुलवाये व यातनाये देने लग गये, जिस पर दिनांक 15.05.2020 को सुबह पुनः एस.टीडी से फोन लगाने हेतु दबाव बनाया व रूपये डलवाने का कारण बताने व रूपये नही डलवाने पर जान से मारने का भय दिखाया, जिस पर मैने पुनः मेरे मित्र भैरूलाल जाट को फोन किया व उनको विनती कर 10,000 रूपये डालने हेतु कहा, जिस पर मेरे मित्र भैरूलाल जाट द्वारा उदयसिंह के मोबाईल से मोबाईल नम्बर 70620–34018 पर डलवाये। दिनांक 16.05.2020 को मेरी जमानत होने व सूचना मिलने पर उक्त दोनो मुल्जिमान ने मुझे डराया धमकाया व कहा कि तेरी जमानत हो गयी है, तु जैल से बाहर निकला व किसी प्रकार की शिकायत की तो हम तुझे व तेरे परिवार को जान से मरवा देंगे। उक्त मुल्जिमान कोई भी षडयंत्र रचकर मेरे व मेरे परिवार की हत्या भी कर सकते है। मुल्जिमान कन्हैयालाल जाट, राधेश्याम जाट, जिला कारागृह, भीलवाडा के जैलर, डिप्टी व अन्य द्वारा मिलकर बंदीयो को डरा धमकाकर जबरन 10 हज़ार रूपये उनके खाते मे डलवाकर रकम हडप की है व मेरे साथ धोखाधडी की है।" रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से दरियाप्त की गई तो बताया कि मेरी जेल कर्मियो से कोई रंजिश नहीं हैं जेल कर्मी मुझे 10 हजार रूपये वापस लौटाने को भी तैयार है मगर मैने उनसे यह रकम नही ली। मै उनको जेल मे मेरे को परेशान नही करने व जेल मे मेरे को दी गई सुविधा के बदले पूर्व मे दी गई रिश्वत राशि दस हजार

रूपये प्राप्त करने के सम्बन्ध मे उक्त दोनो बंदी व जेल कर्मियो के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मे कार्यवाही करवाना चाहता हूं। पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से दरियाप्त की तो परिवादी के जेल मे रहते हुए जेल मे बंदी कन्हैयालाल जाट व उसके भाई राधेश्याम जाट के कहने से जेल के एसटीडी फोन व लैंडलाईन फोन से परिवादी के मित्र भेरूलाल जाट से उसके फोन नम्बर 9782271734 पर दिनांक 14,15.05.2020 को वार्ता कर दस हजार रूपये डलवाने की कहा। दिनांक 15.05.2020 को परिवादी ने मोबाईल नम्बर 7062034018 पर ऑनलाईन दस हजार रूपये डलवाने की कहा जिस पर भैरूलाल ने अपने मित्र उदयसिंह को फोन कर उक्त नम्बर पर पैसे दस हजार रूपये डलवाने की कहा। जिस पर उदयसिहं ने अपने फोन नम्बर 9460966520 से फोन पे एप के माध्यम से दस हजार रूपये दिनांक 15.05.2020 को सुबह 11.00–11.15 बजे दस हजार रूपये मोबाईल नम्बर 7062034018 पर फोन पे एप मे डलवाये। परिवादी ने बताया कि मेरे द्वारा उक्त बात मेरे गांव के मित्र राजु जाट को बतायी व उन्होने जेल कर्मी से बातचीत की। परिवादी श्री जगदीश तेली व उसके साथ उपस्थित श्री राजु जाट ने बताया कि उक्त सारे तथ्यो के सम्बन्ध मे श्री भैरूलाल ने अपने मोबाईल मे हुई वार्ता की कॉलो की रिकार्डिग कर रखी है जो उसके मोबाईल मे सेव है, तथा आप चाहे तो मै अभी वापस जेल पर जाकर जेल कर्मीयो से बात कर उक्त सारे तथ्यो की पुष्टि के लिये रिकार्डिग करके ला सकता हूं। परिवादी श्री जगदीश तेली को श्री भैरूलाल द्वारा अपने मोबाईल मे किये गये कॉलो की रिकार्डिगं जो उसके द्वारा की जाकर उसके पास सेव है इस पर पुलिस निरीक्षक ने उसे सुरक्षित रखकर उपलब्ध कराने हेतु हिदायत की। पुलिस निरीक्षक ने जेल कर्मियो की इस मामले मे भूमिका के सम्बन्ध मे परिवादी व जेल कर्मियो की उक्त दस हजार रूपये के लेनदेन के सम्बन्ध मे भूमिका के सम्बन्ध में पुष्टि करने हेतु मालखाने से डिजिटल वॉईस रिकोर्डर मय एक नया सरकारी खाली मैमोरी कार्ड निकलवाया जाकर परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालू व बन्द करना सिखाया तथा परिवादी को राशि दस हजार रूपये के लेन देन के तथ्यो की पुष्टि हेतु तथा इस मामले मे जेल कर्मीयो की संलिप्तता के सम्बन्ध मे पुनः जेल पर जाकर जेल कर्मीयो से वार्ता करने के मन्तव्य से अवगत करवा कर श्री गोपाल जोशी हैड कानि0 को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय नया सरकारी मेमोरी कार्ड मय सेल सहित राशि लेन देन पुष्टि वार्ता व जेल कर्मीयो की इसमे संलिप्तता की जानकारी हेतु वार्ता रिकॉर्ड कर लाने के लिए परिवादी श्री जगदीश तेली, परिवादी के मित्र राजु जाट के साथ रवाना जिला कारागृह भीलवाडा की ओर किया गया। समय 06.35 पीएम पर श्री गोपाल जोशी हैडकानि0 मय डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के परिवादी व राजु जाट के हमरा उपस्थित आये। गोपाल जोशी हैडकानि0 ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के पुलिस निरीक्षक को पेश कर बताया कि मैं कार्यालय से परिवादी व राजु जाट के साथ रवाना हो जेल चौराया भीलवाडा पहुंचा, मै जेल के बाहर खडा होकर परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर चालु कर सुपुर्द कर परिवादी को वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के आरोपी से राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु मय राजु जाट के जिला जेल भीलवाडा के लिये रवाना किया। मैं जिला जेल के बाहर आस पास खडा हो गया, करीब आधे घंटे बाद परिवादी व राजु जाट मेरे पास आये। परिवादी ने चालु वॉईस रिकॉर्डर मुझे पेश किया जिसको मैंने प्राप्त कर बन्द किया। परिवादी ने मुझे बताया कि मैं व राजु जाट आपके पास से रवाना हो कर जिला जेल भीलवाडा के बाहर पहुंच मेरे मित्र भैरू जाट जो वंहा उपस्थित था को साथ लेकर जेल के अन्दर गया, वहां मैंने डिप्टी जेल के कमरे मे पूर्व मे मेरे द्वारा जेल मे रहते हुए मुझे परेशान नही करने की एवज मे हुए दस हजार रूपये लेन देन सम्बन्धित वार्ता मैने व राजु जाट ने जेल कर्मियो से कर ली, मैने दस हजार रूपये लेन देन सम्बन्धित वार्ता डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकार्ड कर ली है। श्री गोपाल जोशी हेडकानि0 ने बताया कि मै व परिवादी तथा राजु जाट जेल चौराये से रवाना होकर कार्यालय मे उपस्थित आये । तत्पश्चात् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री जगदीश तेली व उसके मित्र राजु जाट से पूछताछ की तो परिवादी व राजु जाट ने हैड कानि.गोपाल जोशी द्वारा बताये उक्त तथ्यों की ताईद कर बताया कि वार्ता के समय डिप्टी जेल के कमरे मे डिप्टी श्री भैरूसिंह, एक जेल कर्मी, युवा कांग्रेस नेता रितेश गुर्जर, मेरा मित्र भैरूलाल जाट भी थे जिनकी भी बीच बीच मे बातचीत है इन लोगो की मौजुदगी मे ही मैने दस हजार रूपये लेन देन सम्बन्धित वार्ता रिकार्ड कर उक्त वार्ता की रिकार्डिगं डिजीटल वॉयस रिकार्डिगं कर ली है। तत्प चात पुलिस निरीक्षक ने श्री गोपाल जोशी हैडकानि. द्वारा पेश शुदा. डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय मेमौरी कार्ड को

चालू कर परिवादी को जेल मे रहते हुए परेशान नही करने की एवज मे दस हजार रूपये लेन देन सम्बन्धित वार्ता को सुना तो दस हजार रूपये के लेन–देन होने की पुष्टि होने के तथ्य सामने आये तथा वार्ता मे यह तथ्य भी सामने आया कि दस हजार रूपये जिस खाते से ऑन लाईन फोन पे से आये थे उसी खाते मे पुनः ट्रासंफर करवा कर डलवा दिये गये, जिसकी पुष्टि हेतु पुलिस निरीक्षक ने परिवादी जगदीश तेली को उसके मित्र भैरूलाल से फोन से वार्ता कर पुष्टि करवायी तो भैरूलाल ने अपने मित्र उदयसिंह से वार्ता कर परिवादी को बताया कि अभी शाम को 5.00 बजे करीब उसी खाते मे पैसे दस हजार रूपये पुनः आ गये है। पुलिस निरीक्षक ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मेमोरीकार्ड को इंचार्ज मालखाना श्री प्रहलाद कानि0 190 को मालखाने मे सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द कर मालखाने मे रखवाया। परिवादी व राजु जाट को हिदायत कर रूखसत किया। दिनांक 20.05.2020 को समय 11.30 एएम पर परिवादी श्री जगदीश तेली व उसका मित्र राजु जाट उपस्थित आये जिनसे पुलिस निरीक्षक ने पूछताछ की तो उन्होने दिनांक 16.05.2020 को बताये तथ्यो की ताईद कर बताया कि दस हजार रूपये का लेन देन हो चूका है और दस हजार रूपये वापस कन्हैयालाल व राधे याम व श्री भैरूसिंह उप अधीक्षक जेल जिला कारागृह भीलवाड़ा व अन्य ने पुनः उसी खाते मे फोन पे से लौटा दिये है अतः रंगे हाथो रिर्वस ट्रेप की कार्यवाही अब संभव नही है। इसके पश्चात पुलिस निरीक्षक द्वारा दो स्वतंत्र गवाह श्री तिलकेश्वर प्रसाद धुपड सहायक लेखाधिकारी कार्यालय खनि अभियंता भीलवाडा एवं श्री सत्यनारायण भट्ट प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय खनि अभियंता भीलवाडा को तलब कर उनको परिवादी श्री जगदीश तेली द्वारा दिनांक 16.05.2020 को पेश शुदा रिपोर्ट को पढकर सूनाया व पढ़ाया तो दोनो गवाहो ने रिपोर्ट को पढकर अग्रिम विधिक कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के रूप मे सहयोग हेतु सहमति प्रदान की। दोनो स्वतंत्र गवाह का परिवादी जगदीश तेली व उसके मित्र राजु जाट से परिचय करवाया। दोनो गवाहान को पूर्व मे दिनांक 16.05.2020 को परिवादी व श्री भैरूसिंह उप अधीक्षक जेल जिला कारागृह भीलवाड़ा व अन्य के बीच हुई दस हजार रूपये लेन देन सम्बन्धित वार्ता के वॉईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को चालू कर सूनाया तो दोनो गवाहान ने वार्ता को सून कर प्रथम दृष्टिया जेल कर्मियो की अप्रत्यक्ष मिलीभगती होने की संभावना जाहिर की। पुलिस निरीक्षक द्वारा फर्द ट्रांस्क्रिप्ट दस हजार रूपये लेन देन सम्बन्धित दर्ज वार्ता दिनांक 16.05.2020 की तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की सीडीयां तैयार कर मार्क A अंकित कर सीलचिट की। समय 03.30 पीएम पर परिवादी श्री जगदीश तेली ने अपने मित्र श्री भैरूलाल जाट द्वारा उसके मोबाईल नम्बर 9782271734 मे जिला जेल भीलवाडा से किये गये कॉलो की रिकार्डिगं, स्क्रीनशॉट जो भैरूलाल ने मोबाईल मे सेव कर परिवादी के मोबाईल मे सेन्ड की तथा परिवादी श्री जगदीश तेली ने अपने मोबाईल से उसे सी.डी. मे डब करा पुलिस निरीक्षक को पेश की। परिवादी श्री जगदीश तेली ने पुलिस निरीक्षक को बताया कि मुझे भैरूलाल ने उसके मोबाईल मे सेव शुदा रिकार्डिगं दस जिसमे मैने जिला जेल भीलवाडा मे रहते हुए, तथा जेल के बंदी कन्हैयालाल ने उस दौरान भैरूलाल से जो दस हजार रूपये डलवाने से सम्बन्धित बातचीत फोन से की थी वो सभी दस रिकार्डिगें व तीन स्क्रीनशॉट भैरूलाल ने अपने मोबाईल से मुझे भेजी उन दस रिकार्डिगं व तीन स्क्रीनशॉट मैने सी.डी. मे डब करवाकर मेरे फोन व भैरूलाल के फोन से डिलिट कर दी थी। सी.डी.मे जेसी कॉलो की रिकार्डिगं थी वेसी हालत मे है इसमे मैने या भैरूलाल ने कोई कांटछांट नही की है। उक्त सी.डी. को पुलिस निरीक्षक ने चलाकर सूना देखा तो चालू हालत मे होकर कुल 10 वॉयस रिकार्डिगं वार्ताएं व तीन स्क्रीनशॉट होना पाया। पुलिस निरीक्षक ने उक्त सीडी को एक कागज के लिफाफे मे ड़ालकर उक्त कागज के लिफाफे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये जाकर चिट बंद किया जाकर मार्क "B" अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करा वजह सबूत कब्जे एसीबी ली। इसके पश्चात दस हजार रूपये लेन देन सम्बन्धित दर्ज वार्ता का मूल मेमोरी कार्डस को वजह सबूत जप्त कर सिल्ड चिट कर मार्क "M" अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया। फर्द नमूना सील व नाशानी सील मुर्तिब की गई।

दौराने जॉच गवाहान के बयान लिये गये। जिला कारागृह में पदस्थापित अधिकारीयों एवं कर्मचारियो के पदस्थापन एवं मोबाईल नम्बर की सूचना, बन्दी श्री कन्हैया लाल एव राधेश्याम जाट से सम्बन्धित सूचना एवं जिला कारागृह के लेण्डलाईन नम्बर की सूचना, अधीक्षक जिला कारागृह भीलवाड़ा से श्री जगदीश चन्द्र तेली पुत्र श्री गोपाल लाल तेली के जिला करागार में बंद होने

सम्बन्धित बन्दी रजिस्टर की प्रमाणित फोटो प्रतियां, जिला कारागृह में पदस्थापित अधिकारीयो एवं कर्मचारियों के बैंक खाते की सूचना, श्री बाबू लाल बैरवा के यूको बैंक के खाता नम्बर 10850110083864 के लेजर की प्रति, मोबाईल नम्बर 7062034018, 9782271735, 9782271734 एवं 9460966520 की दिनांक 13.05.2020 से दिनांक 17.05.2020 तक की कॉल डिटेल प्रमाणित प्रति मय 65 ख का प्रमाण पत्र, श्री रवि कुमार के एसबीआई बैंक खाता संख्या 61054873864 के लेजर की प्रति। पुलिस थाना मंगरोप के पत्र क्रमांक 376 दिनांक 02.02.2021 के द्वारा परिवादी के विरूद्ध दर्ज प्रकरण संख्या 142/2019 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रमाणित फोटो प्रतियां प्राप्त कर जॉच की गई।

जांच से पाया गया कि परिवादी श्री जगदीश चन्द्र तेली को पुलिस थाना मंगरोप के प्रकरण संख्या 142/2019 धारा 143,323,341,354 ख भादस में उप अधीक्षक पुलिस वृत सदर भीलवाड़ा द्वारा दिनांक 12.05.2020 को गिरफ्तार कर दिनांक 12.05.2020 को जिला कारागृह भीलवाड़ा में दाखिल कराया गया। परिवादी दिनांक 12.05.2020 को न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया था। जिला करागृह भीलवाड़ा में पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाड़ा के प्रकरण संख्या 165/2017 धारा 341,323,324,307 भादस में तत्कालिन बन्दी श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री चौथमल उम्र 25 साल जाति जाट निवासी उम्मेदपुरा (कोडियां का खेड़ा) पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाडा, व श्री राधेश्याम जाट पुत्र श्री चौथमल उम्र 25 साल जाति जाट निवासी उम्मेदपुरा (कोडियां का खेड़ा) पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाडा जिला कारागृह भीलवाड़ा में विचाराधीन बन्दी थें। जिला कारागृह भीलवाड़ा के अधिकारीयों एवं कर्मचारी की शह से जिला कारागृह भीलवाड़ा में पूर्व से बन्द उक्त बन्दी श्री कन्हैया लाल जाट व श्री राधेश्याम जाट द्वारा परिवादी श्री जगदीश चन्द तेली को प्रताड़ित किया गया तथा परिवादी को जेल में प्रताड़ित नही करने की एवज में 10,000/- देने के लिये कहा। दिनांक 14.05.2020 को जिला कारागृह भीलवाड़ा के लेण्डलाईन नम्बर 227922 से परिवादी के मित्र श्री भैरू लाल जाट के मोबाईल 9782271734 पर बन्दी श्री कन्हैया लाल जाट द्वारा वार्ता करवा कर 10,000/- रूपये फोन पे एप के माध्यम से मोबाईल नम्बर 7062034018 पर डलवाने के लिये कहा। परिवादी के मित्र द्वारा दिनांक 14.05.2020 को 10,000/- रूपये नही डलवाने पर बार-बार उक्त दोनो बन्दीयो द्वारा जल्दी पैसे डालने के लिये परिवादी के मित्र पर दबाव बनाया। दिनांक 15.05.2020 को जिला कारागृह भीलवाड़ा में बन्द बन्दी श्री कन्हैया लाल जाट द्वारा जिला कारागृह भीलवाड़ा के लेण्डलाईन नम्बर 227922 से परिवादी के मित्र श्री भैरू लाल जाट के मोबाईल 9782271734 पर फोन कर 10,000/- रूपये डलवाने बाबत पुछा तथा रूपये जल्दी डालने के लिये कहा जिस पर परिवादी के मित्र श्री भैरूलाल जाट ने अपने परिचित श्री उदय सिंह निवासी कुम्हारिया के पास जाकर 10,000/- नगद देकर 10,000/- मोबाईल नम्बर 70620-34018 पर फोन-पे एप के मार्फत डालने हेतु कहा जिस पर श्री भैरू लाल जाट ने पहले एक रूपया मोबाईल नम्बर 70620-34018 फोन-पे एप के मार्फत डाल कर मोबाईल नम्बर 70620-34018 धारक श्री बाबू लाल बैरवा को पुंछा की एक रूपया आ गया है या नही जिस पर श्री बाबू लाल ने कहा कि आ गया है जिस पर श्री उदय सिंह द्वारा उसके मोबाईल नम्बर 9460966520 से मोबाईल नम्बर 70620-34018 पर फोन-पे एप के मार्फत 10,000/- रूपये डाले। उसके बाद श्री भैरू लाल जाट ने अपने मोबाईल से श्री बाबू लाल बैरवा को वापस पुछा कि 10,000/- रूपये आ गये क्या जिस पर श्री बाबू लाल बैरवा ने बताया कि हां पैसे आ गये। श्री उदय सिंह ने पैसे भेजने का अपने मोबईल से स्क्रीन शॉट लेकर श्री भैरू लाल जाट के मोबाईल में भेज दिया था। इस प्रकार 10,000/- रूपये रिश्वत राशि फोन-पे एप के मार्फत मोबाईल नम्बर 70620-34018 डलवाना पाया गया। दिनांक 15.05.2020 को श्री बाबू लाल बैरवा के खाते में 10,000/- रूपये आने पर श्री बाबू लाल बैरवा ने अपने मोबाईल नम्बर 70620-34018 से तुरन्त ही श्री रवि बैरवा कानि जिला कारागृह भीलवाड़ा के मोबाईल नम्बर 9694390903 पर फोन पे एप के मार्फत 9500/- रूपये ट्रांसफर कर दिये।

दौराने जॉच श्री रवि बैरवा कानि जिला कारागृह भीलवाड़ा के एसबीआई बैंक खाता संख्या 61054873864 के लेजर की प्रति प्राप्त की गई तथा श्री बाबू लाल बैरवा के यूको बैंक खाता संख्या 10850110083864 के लेजर की प्रति प्राप्त की जाकर अवलोकन किया गया तो पाया गया कि दिनांक 15.05.2020 को श्री बाबू लाल बैरवा के यूको बैंक खाता संख्या 10850110083864 में 10,000/-

रूपये जमा होना पाया गया तथा उसके तुरन्त बाद ही 9500/– रूपये श्री बाबू लाल बैरवा ने फोन पे एप के मार्फत श्री रवि बैरवा कानि जिला कारागृह भीलवाड़ा के एसबीआई बैंक खाता में ट्रांसफर करना पाया गया। जॉच से पाया गया कि श्री रवि बैरवा कानि जिला कारागृह भीलवाड़ा एवं श्री बाबू लाल बैरवा दोनो आपस में भाई है। इस प्रकार उक्त बैंक खातो के स्टेटमेंट से 10,000/– रूपये रिश्वत राशि के ग्रहण करना पाया गया।

दिनांक 16.05.2020 को परिवादी की जमानत होने पर परिवादी ने दिनांक 16.05.2020 को एसीबी में शिकायत की जिस पर श्री रवि बैरवा कानि जिला कारागृह भीलवाड़ा ने डरकर पुनः अपने मोबाईल नम्बर 9694390903 से श्री बाबू लाल बैरवा के मोबाईल नम्बर 70620–34018 पर फोन पे एप के मार्फत 10,000/– रूपये ट्रांसफर किये। श्री बाबू लाल बैरवा ने अपने मोबाईल नम्बर 7062034018 से फोन पे एप के माध्यम से श्री उदयसिहं के मोबाईल फोन नम्बर 9460966520 पर फोन पे एप के माध्यम से 10,000/– रूपये ऑन लाईन ट्रासंफर कर दिये।

दौराने जॉच परिवादी के मित्र श्री भैरू लाल जाट, श्री उदय सिंह, श्री बाबू लाल बैरवा के मोबाईल नम्बर की कॉल डिटेल प्राप्त की जाकर विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि दिनांक 14.05.2020 को समय 07.07 पीएम पर जिला कारागृह भीलवाड़ा के लेण्डलाईन नम्बर 01482227922 से परिवादी के मित्र श्री भैरू लाल जाट मोबाईल नम्बर 9782271734 पर 131 सैकण्ड वार्ता होना पाया गया। उसी दिन समय 07.25 पीएम पर परिवादी के मित्र श्री भैरू लाल जाट मोबाईल नम्बर 9782271734 से श्री बाबू लाल बैरवा के मोबाईल नम्बर 7062034018 पर 200 सैकण्ड वार्ता होना पाया गया। इसी प्रकार उसी दिन समय 07.53 पीएम पर जिला कारागृह भीलवाड़ा के लेण्डलाईन नम्बर 01482227922 से परिवादी के मित्र श्री भैरू लाल जाट मोबाईल नम्बर 9782271734 पर 86 सैकण्ड वार्ता होना पाया गया। दिनांक 15.05.2020 को समय 11.49 एएम पर जिला कारागृह भीलवाड़ा के लेण्डलाईन नम्बर 01482227922 से परिवादी के मित्र श्री भैरू लाल जाट मोबाईल नम्बर 9782271734 पर 40 सैकण्ड वार्ता होना पाया गया। इसी प्रकार श्री बाबू लाल बैरवा के मोबाईल नम्बर 7062034018 की कॉल डिटेल प्राप्त की जाकर विश्लेषण किया गया तो पाया गया कि दिनांक 14.05.2020 को समय 07.25 पीएम पर श्री बाबू लाल बैरवा के मोबाईल नम्बर 7062034018 से जिला कारागृह भीलवाड़ा के लेण्डलाईन नम्बर 01482227922 पर 200 सैकण्ड वार्ता होना पाया गया। दिनांक 15.05.2020 को समय 01.47 पीएम पर श्री बाबू लाल बैरवा के मोबाईल नम्बर 7062034018 से जिला कारागृह भीलवाड़ा के लेण्डलाईन नम्बर 01482227922 पर 66 सैकण्ड वार्ता होना पाया गया। इसी प्रकार उसी दिन समय 03.24 पीएम पर श्री बाबू लाल बैरवा के मोबाईल नम्बर 7062034018 से जिला कारागृह भीलवाड़ा के लेण्डलाईन नम्बर 01482227922 पर 34 सैकण्ड वार्ता होना पाया गया। इसी प्रकार उसी दिन समय 04.59 पीएम पर श्री बाबू लाल बैरवा के मोबाईल नम्बर 7062034018 से जिला कारागृह भीलवाड़ा के लेण्डलाईन नम्बर 01482227922 पर 11 सैकण्ड वार्ता होना पाया गया।

दौराने जॉच जिला कारागृह भीलवाड़ा से जिला जेल के कर्मचारियों की बमाह मई 2020 के ड्यूटी चार्ट की प्रमाणित फोटो प्रतियां प्राप्त कर अवलोकन किया गया तो पाया गया कि दिनांक 14.05.2020 को जिला कारागृह के लेण्डलाईन नम्बर 01482227922 से परिवादी के मित्र श्री भैरू लाल जाट मोबाईल नम्बर 9782271734 पर वार्ता हुई उस समय श्री रवि बैरवा कानि की ड्यूटी गेट किपर के रूप में समय 07.00 पीएम से 03.00 एएम तक थी। दिनांक 15.05.2020 को जिला कारागृह के लेण्डलाईन नम्बर 01482227922 से परिवादी के मित्र श्री भैरू लाल जाट मोबाईल नम्बर 9782271734 पर वार्ता हुई उस समय श्री राजकुमार फुलवारिया हैड कानि की ड्यूटी गेट किपर के रूप में समय 11.00 एएम से 07.00 पीएम तक थी, श्री रवि बैरवा कानि की ड्यूटी अन्दर ईचार्ज के रूप में समय 11.00 एएम से 07.00 पीएम तक थी। इस प्रकार उक्त दोनों के द्वारा बन्दीयों से परिवादी के मित्र श्री भैरू लाल जाट से वार्ता करवाना पाया गया।

दिनांक 16.05.2020 को जॉच हाजा के परिवादी श्री जगदीश चन्द्र तेली की जमानत होने पर परिवादी ने दिनांक 16.05.2020 को एसीबी में शिकायत की जिस पर दिनांक 16.05.2020 को करवाये गये सत्यापन से 10,000/– रूपये फोन पे एप के मार्फत लेने तथा पुनः फोन पे एप के मार्फत ट्रांसफर करवा देने की बात सामने आयी तथा श्री कन्हैया लाल द्वारा परिवादी से माफी मांगने तथा श्री भैरू सिंह राठौड़, कारापाल, कार्यवाहक अधीक्षक, जिला कारागृह भीलवाड़ा द्वारा यह कहना कि

तुम्हारे पैसे खाते में आ गये होगें चैक कर लेना नही तो मेरे से आकर ले जाना कहना सत्यापन वार्ता में आया है। श्री भैरू सिंह राठौड़, कारापाल, कार्यवाहक अधीक्षक, जिला कारागृह भीलवाड़ा के संज्ञान में परिवादी को डरा धमकाकर जेल में सुविधा चाहने के बदले 10,000/– लेने की बात सामने आने पर भी उनके द्वारा जेल नियमो एवं कानुनी प्रावधानो के तहत कार्यवाही नही कर स्वयं के स्तर पर ही इस मामले को आपसी फैसला करवाकर मामले को रफा–दफा करने में मध्यस्थ की भूमिका निभाना सत्यापन वार्ता में सामने आया है। जिससे श्री भैरू सिंह राठौड़, कारापाल, कार्यवाहक अधीक्षक, जिला कारागृह भीलवाड़ा के उक्त आरोपो में भूमिका होने की पुष्ठी होती है।

उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो से आरोपीगण 1. श्री भैरू सिंह राठौड़ तत्कालिन कारापाल, कार्यवाहक अधीक्षक, जिला कारागृह भीलवाड़ा 2 श्री रवि बैरवा तत्कालिन कानि. 3168 जिला करागृह भीलवाड़ा, 3. श्री राजकुमार फुलवारी मुख्य प्रहरी नं. 2181 जिला कारागृह भीलवाड़ा, 4. श्री बाबू लाल बैरवा (दलाल) 5. श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री चौथमल उम्र 25 साल जाति जाट निवासी उम्मेदपुरा (कोडियां का खेड़ा) पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाडा (तत्कालिन बन्दी), 6. श्री राधेश्याम जाट पुत्र श्री चौथमल उम्र 25 साल जाति जाट निवासी उम्मेदपुरा (कोडियां का खेड़ा) पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाडा (तत्कालिन बन्दी) ने आपसी मिली भगत करते हुए परिवादी श्री जगदीश चन्द्र तेली को जेल में प्रताड़ित नही करने की एवज मे 10,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग करना तथा अपनी मांग अनुसार 10,000/– रूपये दिनांक 15.05.2020 को श्री उदय सिंह के मोबाईल नम्बर 9460966520 पर फोन पे एप के माध्यम से श्री बाबू लाल बैरवा के मोबाईल नम्बर 7062034018 पर ट्रासंफर करना तथा श्री बाबू लाल बैरवा द्वारा 9500/– अपने मोबाईल से श्री रवि बैरवा कानि जिला कारागृह भीलवाड़ा के मोबाईल नम्बर 9694390903 पर ट्रासंफर करना एवं दिनांक 16.05.2020 को श्री रवि बैरवा कानि जिला कारागृह भीलवाड़ा द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 9694390903 से श्री बाबू लाल बैरवा के मोबाईल नम्बर 70620–34018 पर फोन पे एप के मार्फत 10,000/– रूपये ट्रांसफर करना एवं श्री बाबू लाल बैरवा द्वारा अपने मोबाईल नम्बर 7062034018 से फोन पे एप के माध्यम से श्री उदयसिहं के मोबाईल फोन नम्बर 9460966520 पर 10,000/– रूपये ऑन लाईन ट्रासंफर करना जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संशोधन (2018) एवं 120 बी भादस का प्रमाणित पाया जाने से आरोपीगण 1. श्री भैरू सिंह राठौड़ पुत्र श्री गंगा सिंह राठौड़ उम्र 49 साल जाति राजपूत निवासी डूंगरियां कला तहसील पुष्कर जिला अजमेर, तत्कालिन कारापाल, कार्यवाहक अधीक्षक, जिला कारागृह भीलवाड़ा 2 श्री रवि बैरवा पुत्र श्री प्रभाती लाल उम्र 33 साल जाति बैरवा निवासी मेड़ी तहसील बसवा जिला दौसा, तत्कालिन कानि. 3168 जिला करागृह भीलवाड़ा,, 3. श्री राजकुमार फुलवारी पुत्र श्री मदन लाल निवासी मकान नं. 740 वार्ड नं. 39 माकुपुरा जिला अजमेर हाल मुख्य प्रहरी नं. 2181 जिला कारागृह भीलवाड़ा, 4. श्री बाबू लाल बैरवा (दलाल) 5. श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री चौथमल उम्र 25 साल जाति जाट निवासी उम्मेदपुरा (कोडियां का खेड़ा) पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाडा (तत्कालिन बन्दी), 6. श्री राधेश्याम जाट पुत्र श्री चौथमल उम्र 25 साल जाति जाट निवासी उम्मेदपुरा (कोडियां का खेड़ा) पुलिस थाना माण्डल जिला भीलवाडा (तत्कालिन बन्दी) के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित हैं।

भवदीय,

(ब्रजराज सिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
भीलवाडा–द्वितीय।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ब्रजराज सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्त 1. श्री भैरू सिंह राठौड़, तत्कालीन कारापाल कार्यवाहक अधीक्षक, जिला कारागृह भीलवाड़ा 2. श्री रवि बैरवा, तत्कालीन कानि. नम्बर 3168, जिला कारागृह, भीलवाड़ा 3. श्री राजकुमार फुलवारी, मुख्य प्रहरी, नम्बर 2181, जिला कारागृह, भीलवाड़ा 4. श्री बाबू लाल बैरवा (दलाल) 5. श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री चौथमल (तत्कालीन बन्दी) निवासी उम्मेदपुरा (कोडियां का खेड़ा) पुलिस थाना माण्डल, जिला भीलवाड़ा 6. श्री राधेश्याम जाट पुत्र श्री चौथमल, (तत्कालीन बन्दी) निवासी उम्मेदपुरा (कोडियां का खेड़ा) पुलिस थाना माण्डल, जिला भीलवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध सख्या 301/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ एफ.आई.आर. नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

2.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 2640-46 दिनांक 02.08.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाड़ा।
2. महानिदेशक, कारागार, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त महानिदेशक, भष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्ट्राचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-द्वितीय।
7. अति. पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (पी.ई.03/20)

2.8.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर